Smt. Shanta Singh
Sr. Asst. Prof.
Dept. of L.S.W.
SNSRKS College,
Saharsa

समाज कल्याण की अवधारणा
(CONCEPT OF SOCIAL WELFARE)

Lec-1

समाज कल्याण का तात्पर्य उन महत्वपूर्ण सेवाओं से है जो समाज के दुर्बल, असहाय, पिछड़े हुए तथा शोषित व्यक्तियों के इसलिए प्रदान की जाती है जिससे वो अपना विकास स्वयं करने की स्थिति में आ सके। भारत में कुछ ऐसे लोग समाज कल्याण को संकुचित दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार समाज कल्याण के अंतर्गत समाज के केवल दुर्बल एवं पिछड़े समूहों कल्याण के लिए उठाए गए कदमों को ही सम्मिलित करते हैं और कुछ इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की अभिकरणों द्वारा उठाए गए कदमों को। दूसरी ओर कई लोग समाज कल्याण को व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं। उनके अनुसार समाज कल्याण के अंतर्गत सरकार और सार्वजनिक एवं ऐच्छिक संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा जन समुदाय के कल्याण के लिए उठाए गए सभी प्रकार के कार्यक्रम और क्रिया-कलाप सम्मिलित होते हैं। आज इसी दृष्टिकोण को व्यापक मान्यता मिली है। इसी व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित समाज-कल्याण की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं।

(i) एलिजाबेथ विकेन्डेन (Elizabeth Wickenden) के अनुसार :-

"समाज कल्याण" के अन्तर्गत ऐसी विधियाँ, कार्यक्रम, लाभ तथा सेवाएँ आती हैं जो उन प्रयत्नों को सुनिश्चित करती तथा शक्तिशाली बनाती हैं जिनसे उन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिन्हें जन-कल्याण तथा सामाजिक व्यवस्था के सुधार कार्यान्वयन के लिए आधारभूत समझा जाता है।"

(ii) जॉन एम० रोमानिशिन (John M. Romanyshyn) के दृष्टिकोण में :-

"समाज कल्याण में सामाजिक हस्तक्षेप के वे सभी रूप आते हैं जिनका प्राथमिक तथा प्रत्यक्ष उद्देश्य व्यक्ति तथा सम्पूर्ण समाज दोनों के कल्याण का उन्नयन है। समाज कल्याण के अन्तर्गत वे प्रावधान तथा प्रक्रियाएँ आती हैं जो समस्याओं के उपचार तथा निवारण, मानवीय

Scanned with CamScanner

व्यक्तियों के विकास तथा जीवन के गुण में सुधार से प्रत्यक्ष रूप में संबद्ध होती है।"

(iii) हैरोल्ड एल. विलेन्स्की तथा चार्ल्स एन लेबॉ (Harold L. Wilensky & Charles N. Lebeaux) के मत में समाज कल्याण :- "औपचारिक रूप में संगठित हुआ समाज द्वारा प्रायोजित वे संस्थाएँ, अभिकरण तथा कार्यक्रम हैं जो सम्पूर्ण जन संख्या या उसके कतिपय भागों की आर्थिक दशाओं, स्वास्थ्य एवं अन्तर्वैयक्तिक सामर्थ्य के अनुकूल अनुरक्षण तथा सुधार के लिए कार्यरत हैं।"

(iv) वाल्टर ए. फ्रीडलैण्डर (Walter A. Friedlander) के शब्दों में :-

"समाज कल्याण सामाजिक सेवाओं तथा संस्थाओं की एक संगठित व्यवस्था है, जिसका कार्य जीवन तथा स्वास्थ्य के सन्तोषजनक स्तर को प्राप्त करने हेतु व्यक्तियों और समूहों की सहायता करना है। इसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तिगत तथा सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करना है जो व्यक्तियों को परिवार तथा समुदाय की आवश्यकताओं से समन्वय रखते हुए अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने और अपने कल्याण की वृद्धि करने का अवसर प्रदान करते हैं।"

(v) कैसिडी (Cassidy) के अनुसार :-

"समाज कल्याण का तात्पर्य उन व्यवस्थित कार्यों से है जो प्रत्यक्ष रूप से जन समुदाय की रक्षा करने उसे संरक्षण देने तथा उसका विकास करने से सम्बन्धित है तथा जिसमें सामाजिक समस्याएँ, सामाजिक बीमा, दल-कल्याण, समाज-सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा मनोरंजन, श्रम संरक्षण तथा आवास व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है।"

अंत: सभी की दृष्टि से "समाज कल्याण उन वैधानिक एवं सामुदायिक प्रयासों, प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का समन्वय है जिसका मुख्य उद्देश्य मान्य मूल्यों तथा मानकों के आधार पर व्यक्तियों तथा उनके समूहों को सहायता प्रदान करना या उनका विकास करना है।"

उपरोक्त तथा अन्य परिभाषाओं के आधार पर हम समाज कल्याण के निम्नलिखित तत्वों से अवगत होते हैं :-

(a) समाज कल्याण एक संस्था है।

Scanned with CamScanner

(b) समाज कल्याण नीतियों, कानूनों, कार्यक्रमों, हितलाभों एवं सेवाओं का समन्वय है जिनका संचालन वैच्छिक एवं सार्वजनिक अभिकरणों के संगठित प्रयासों द्वारा होता है।

(c) समाज कल्याण के जरिए व्यक्तियों, परिवारों तथा समूहों या पूरे समाज को उपभोग के लिए न्यूनतम सामाजिक सेवाएँ या सुविधाएँ उपलब्ध होती है।

(d) समाज कल्याण के अन्तर्गत बाजार के या परिवार द्वारा उपलब्ध होने वाली सेवाओं या सुविधाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता।

(e) समाज कल्याण व्यक्ति, समूह या पूरे समाज की ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयास करता है जो तत्कालीन सामाजिक मूल्यों तथा मानकों द्वारा स्वीकृत हों। अपराधी अपने हित में अपराध के लिए अवसर चाहता है, लेकिन यह स्वीकृत मूल्य या मानक पर आधारित नहीं। इस कारण अपराध के लिए अवसर प्रदान करना समाज कल्याण के क्षेत्र में नहीं आता। इसी प्रकार भिखारी अपनी हित के लिए भिक्षा के लाभप्रद अवसर चाहता है पर आज की मानवीय प्रतिष्ठा से सम्बन्धित मूल्यों के आधार पर उन्हें यह अवसर नहीं दिया जा सकता।

(f) समाज कल्याण के अन्तर्गत निर्धनों, अक्षमों, विकलांगों तथा समाज के अन्य दुर्बल व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सेवाएँ प्रदान तो की ही जाती है, साथ ही और अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसमें सभी साधनों के सामर्थ्य को बढ़ाने, नागरिकों के जीवन स्तर को ऊँचा करने, समाज की कुरीतियों को दूर करने, जन समुदाय के लिए विकास के अवसर प्रदान करने, स्वस्थ वातावरण के सृजन करने तथा समाज की पुनः संरचना के लिए चेष्टाएँ की जाती है।

(g) समाज कल्याण का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। जैसे-जैसे समाज में परिवर्तन होते रहते हैं वैसे-वैसे समाज कल्याण के उद्देश्य, क्षेत्र एवं इसके क्रियाकारी बदलते रहते हैं।

किसी भी देश के सामाजिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए समाज कल्याण सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता होती है। केवल इन्हीं सेवाओं के द्वारा समाज का पुनर्गठन किया जा सकता है।

— x —

Scanned with CamScanner